न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS

GCMS प्रकरण संख्या 2021 / 46

प्रकरण संख्या 181 / 21

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान

1. देवा पिता श्री भूरा जी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गाडरियावास, मजरा चारगदीया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

–वादी

बनाम

1. श्री गोविन्दसिंह पिता श्री मानसिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी गोपालपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. उप पंजीयक भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. पटवारी, पटवार हल्का, चारगदीया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.)

–प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी : श्री पन्नालाल मारू

निर्णय **दिनांक : 05.04.2022**

1. वादी श्री देवा पिता श्री भूरा गाडरी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गोपालपुरा, पटवार क्षेत्र चारगदीया, तहसील भीण्डर में कृषि आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम 1 / 10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1 / 10 हिस्सा अनुसार अंकित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 166 का मूल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था। जिसमें से 6 बिस्वा भूमि सड़क में चली जाने से रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा शेष बचा जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम 1 / 10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1 / 10 हिस्सा अनुसार दर्ज है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 166 का मूल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा को प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर भीण्डर

पिता श्री मानसिंह जी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.1962 से पन्नालाल पिता श्री डाडमचन्द नागदा महाजन निवासी भीण्डर को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया गया। जिसके विक्रय पत्र में पडौस निम्नानुसार हैः–

पूर्व– खुद आपको खेत तथा सड़क का (अर्थात क्रेता श्री पन्नालाल की का खेत)

पश्चिम – वेरी को (अर्थात नाला)

उत्तर– किशोरसिंह व सरदारसिंह का खेत

दक्षिण– खुद पन्नालाल क्रेता का खेत

2. उपरोक्त विक्रय के अनुसार वादग्रस्त आराजी का 1/5 हिस्सा सम्पूर्ण क्रेता के नाम अंकित होना चाहिए था किन्तु क्रेता पन्नालाल की मृत्यु हो जाने के बाद से 1/5 हिस्सा के बजाय 1/10 हिस्सा पन्नालाल के पुत्र श्री धनराज के नाम अंकित हो गया। तत्पश्चात धनराज नागदा द्वारा वादग्रसत आ.नं. 166 को आ.सं. 169–175 के साथ वादी के पिता श्री भुरा पिता श्री दल्ला गाडरी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक **27.3.1965** से विक्रय कर सुपूर्द कर दिया गया। जिससे आराजी एवं आ. सं. 169–175 सम्मिलित के पडौस निम्नानुसार हैः–

पूर्व– खुद विक्रेता श्री पन्नालाल का खेत एवं सड़क

पश्चिम – वेरी को (अर्थात नाला)

उत्तर– किशोरसिंह का खेत

दक्षिण– ब्राम्हण लक्ष्मीलाल तथा सार्दुलसिंह का खेत

3. उपरोक्त स्पष्टिकरण के अनुसार चूंकि वादग्रस्त आराजी का 1/10 हिस्सा ही धनराज पिता श्री पन्नालाल के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हुआ था, जिससे 1/10 हिस्सा ही क्रेता श्री भूरा पिता श्री दल्ला गाडरी के नाम अंकित हुआ, जो भुरा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र वादी के नाम अंकित हुआ । इसी कारण से वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त [illegible] वादी के नाम अंकित है प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री मानसिंह द्वारा [illegible] आ.सं. 166 का मूल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण को पन्नालाल [illegible] धनराज नागदा महाजन को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके पड़ौस विक्रय पत्र में अंकित है। आ.सं. 166 में विक्रेता मानसिंह का कोई हिस्सा शेष नहीं रहने से उनके नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा क्रेता पन्नालाल नागदा के नाम अंकित होना चाहिए था

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)
सहायक कलक्टर भीण्डर

किन्तु सहवन से 1/10 हिस्सा ही अंकित हुआ। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आ.सं. 166 सम्पूर्ण आपसी मौखिक विभाजन से विक्रेता मानसिंह के हिस्से की थी, जिससे ही उन्होंने उक्त आराजी के चारों पड़ौसों का वर्णन करते हुए विक्रय किया था जिससे विक्रेता श्री मानसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा वादग्रस्त आराजी के लिये राजस्व अभिलेखों में हट जाना चाहिए था किन्तु सहवन से 1/10 हिस्सा मानसिंह के नाम अंकित रह गया। जो उनके स्वर्गवास के पश्चात उनपके पुत्र के नाम भी सहवन से अंकित हो गया।

4. प्रतिवादी संख्या 1 का किसी भी प्रकार का कोई भी स्वत्व, हित, खातेदारी अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है किन्तु राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित रह जाने से अब प्रतिवादी संख्या 1 की नियत खराब हो गयी है एवं वह अब उक्त 1/10 हिस्से के नाजायज अंकन का फायदा उठाना चाहता है एवं अब इस नाजायज अंकन के आधार पर वह नुमायशी रूप से भू-माफियाओं के पक्ष में नुमायशी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित कर नाजायज लाभ प्राप्त करना चाहता है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कोई भी हक, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है किन्तु उसके नाम 1/10 हिस्से से राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज हो जाने से वह अब वादी को धमकीया दे रहा है कि वह वादी को वादग्रस्त आराजी से जबरन बेदखल कर देगा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की मदद से वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण कर देगा एवं वादी को धमकीया दे रहा है कि उसने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 से अवैधनिक हस्तान्तरण हेतु वार्ता कर ली है, जिसकी मदद से वह उक्त 1/10 हिस्सा अन्य व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा देगा। एवं वादी को इतनी क्षति होगी कि उसका एवजाना नकदी में नही आंका जा सकेगा जबकि वादी का प्रथम दृष्टया मामला मामला होकर सुविधा सन्तुलन वादी के पक्ष में है अतः प्रतिवादी संख्या 1 को निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है।

6. उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित रह जाने के कारण वादी को भारी क्षति के साथ कुठाराघात हो रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रसत आराजी की एक इन्च भूमि पर भी कब्जा नहीं है एवं वह अब इस अंकन का नाजायज लाभ उठाने हेतु आमादा है। जिससे उक्त 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
भीण्डर

से हटाया जाकार वादी के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी का 1/10 हिस्सा समस्त राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम अंकित नहीं होने से वादी के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिये जाने से, वादग्रस्त आराजी का 1/5 हिस्से के बजाय क्रेता के नाम 1/10 हिस्सा ही राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जाने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की मदद से उक्त 1/10 हिस्से के गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाने हेतु अन्य भू–माफियाओं को हस्तान्तरण की धमकीया वादी को कई बार दिये जाने से अंतिम बार दिनांक 28.1.2017 को दिये जाने से घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण उत्पन्न हुआ।

7. वादी ने वाद अन्तर्गत निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रकदान कराई जावेः– (क) वाद में वर्णित वादग्रस्त आ.सं. 166 का मूल रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का 1/10 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है उसका भी वादी खातेदार काश्तकार है एवं इसे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेखों में हटाया जाकर वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। (ख) प्रतिवादी गण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि वह वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करें।

8. पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया। प्रतिवादीगण न्यायालय में दिनांक 10.11.2021 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा आगामी निरन्तर नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया तथा न्यायालय में शपथ दिलाई गई तथा दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये तथा बहस सुनी गई।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा विद्धान वादी अधिवक्ता द्वारा सूनी गई बहस पर मनन किया जिसमें प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी है जिसमें कई सारी आराजी संख्या है किन्तु इस प्रकरण में विवाद मात्र आराजी संख्या 166, रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा है। जिसमें मानसिंह पिता केशरसिंह का 1/5 हिस्सा दर्ज है। पदर्श –2 जिसमें विक्रय पत्र से मानसिंह ने सम्पूर्ण आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)
सहायक कलक्टर
भीण्डर

पन्नालाल पिता डाडमचन्द पिसर धनराज नागदा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.1962 से विक्रय कर दिया है उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में सम्पूर्ण विक्रय आराजी के पड़ौस अंकित है जो पूर्व में केता श्री पन्नालाल का खेत, पश्चिम में वेरी अर्थात नाला, उत्तर में किशोरसिंह व सरदारसिंह का खेत एवं दक्षिण में खुद केता पन्नालाल का खेत है जिसके बाद पन्नालाल की मृत्यू हो जाने से पन्नालाल के वारिस श्री धनराज पिता श्री पन्नालाल नागदा ने अन्य आराजियात के साथ–साथ आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण को भूरा पिता दल्ला गाडरी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पदर्श–3 से दिनांक 27.03.1965 को विक्रय कर दिया जिसमें भी वो ही पड़ौस अकित है जो पूर्व में केता श्री पन्नालाल का खेत, पश्चिम में वेरी अर्थात नाला, उत्तर में किशोरसिंह व सरदारसिंह का खेत एवं दक्षिण में लक्ष्मीलाल ब्राह्म्ण तथा सार्दुलसिंह का खेत है। प्रदर्श –4 में आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 18 बिघा भूमि में मानसिंह पिता केशर सिंह हिस्सा 1/10 तथा भूरा पिता दल्ला गाडरी हिस्सा 1/10 अंकित है जबकि पूर्व में हि मानसिंह पिता केशरसिंह ने उक्त आराजी में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा विक्रय कर चुका था जिससे मानसिंह पिता केशरसिंह का उक्त आराजी में कोई हिस्सा अधिकार शेष नहीं रहा था परन्तु सहवन से पुनः 1/10 हिस्सा उसके नाम दर्ज कर दिया जो प्रदर्श जमाबन्दी संवत् 2030–33 में अंकित है जो निरन्तर प्रदर्श–5 जमाबन्दी संवत 2033–36 एवं प्रदर्श –6 जमाबन्दी संवत 2042–45 एवं आगे निरन्तर दर्ज रहा। उपरोक्त आराजी का रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा में से 6 बिस्वा भूमि सड़क में चली जाने से उक्त आराजी संख्या 166 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा शेष रहा।

10\. अतः पत्रावली के ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात राजस्व ग्राम गोपालपुरा, पटवार क्षेत्र चारगदीया, तहसील भीण्डर में कृषि आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा [illegible] है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के श्री देवा पिता भूरा गाडरी हिस्सा 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री गोविन्दसिंह पिता मानसिंह रा[illegible] 1/10 हिस्सा के अनुसार अंकित है । उक्त भूमि को प्रतिवादी के पिता मानसिंह हिस्सा 1/5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पन्नालाल पिता डाडम चन्द को विक्रय कर देने से तथा पन्नालाल के वारिस श्री धनराज पिता पन्नालाल द्वारा उक्त भूमि को भूरा पिता दल्ला गाडरी को विक्रय कर देने से उक्त भूमि में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
भीण्डर

श्री गोविन्दसिंह पिता मानसिंह राजपूत के नाम दर्ज हिस्सा 1/10 को वादी श्री देवा पिता भूरा गाडरी के पक्ष में घोषित किया जाकर खातेदार काश्तकार बनाया जाना उचित प्रतित होता है।

11. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गोपालपुरा, पटवार क्षेत्र चारगदीया, तहसील भीण्डर में कृषि आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादी के श्री देवा पिता भूरा गाडरी हिस्सा 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री गोविन्दसिंह पिता मानसिह राजपुत 1/10 हिस्सा के अनुसार अंकित है । उक्त भूमि को प्रतिवादी के पिता श्री मानसिंह हिस्सा 1/5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा पन्नालाल पिता डाडम चन्द को तथा विक्रय कर देने से तथा पन्नालाल के वारिस श्री धनराज पिता पन्नालाल द्वारा उक्त भूमि को भूरा पिता दल्ला गाडरी को विक्रय कर देने के उपरान्त ग्राम गोपालपुरा, पटवार क्षेत्र चारगदीया, तहसील भीण्डर में कृषि आराजी संख्या 166 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी श्री गोविन्दसिंह पिता मानसिंह राजपूत के नाम दर्ज हिस्सा 1/10 को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी श्री देवा पिता भूरा गाडरी को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

12. तहसीलदार भीण्डर भू. प्रबंधन के बाद के नये राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

13. निर्णय आज खुले ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

5/4/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:55 IST
Reason: SelfAttested